WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय:–न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादड़ी, जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– हिमानी कच्छवाह आर.जे.एस., आर.जे.01375

(05 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

निर्णय दिनांक	16.07.2026
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	902/2021
सी.आई.एस. संख्या	902/2021
सी.एन.आर. संख्या	RJPL22-000306-2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	40/2021
आरोप पत्र सं.	11/2021
अपराध अंतर्गत धारा	374 भारतीय दंड संहिता, 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम) 2015
पुलिस थाना	सादड़ी (जिला–पाली)

राजस्थान राज्य,

---परिवादी

बनाम

1. सकाराम पुत्र उमाराम निवासी चोर बावडी, सादडी, जिला पाली, राज.।
2. महावीरसिंह पुत्र जयसिंह निवासी–चोहानो का बगला, सादडी, जिला पाली, राज.।

(फौत, कार्यवाही ड्रोप दिनांक 02.12.2021)

---अभियुक्तगण

उपस्थित:–

1. **विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य ,**
2. **श्री विरेन्द्र सिंह मेड़तिया, विद्वान् अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।**

–:प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:–

प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	13.03.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	02.12.2021
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	16.02.2022
साक्ष्य आरंभ करने की तिथि	26.04.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	08.07.2026
निर्णय की तिथि	16.07.2026

WEB COPY NOT OFFICIAL

–:निर्णय:–

दिनांक: 16.07.2026

1. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त महावीरसिंह पुत्र जयसिंह के फौत होने से अभियुक्त महावीरसिंह की कार्यवाही दिनांक 02.12.2021 को ड्रॉप की गई होने से शेष अभियुक्त सकाराम पुत्र उमाराम की हद तक निर्णय पारित किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनुसंधान अधिकारी मुलाराम सउनि पुलिस थाना सादडी जिला पाली द्वारा दिनांक 13.03.2021 को एक टाइपसुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि की दिनांक 12.03.2021 को मन सउनि मुलाराम मय जाप्ता कानि देवाराम नं. 1078, कानि नरेशचंद 1402 मय प्राईवेट चालक के वक्त 12.06 पीएम पर थाना से सादा वस्त्रों में कस्बा सादड़ी में बाल श्रमिको को बाल श्रम से मुक्त करवाने बाबत ऑपरेशन मासूम के तहत टीम गठित कर कस्बा सादडी को रवाना हुआ दौराने गस्त आखरिया चौक सादड़ी पहुंचा तो जरिए खास मुखबिर सूचना मिली कि फालना रोड़ सूरज कार्नर में राकावत रिसोर्ट के सामने बाल श्रमिक काम रहा है जिस पर मन सउनि मय टीम के फालना रोड सूरज कार्नर पर वक्त 01 पीएम पहुंच कर सूरज चिकन कॉर्नर में अन्दर प्रवेश किया तो अन्दर एक बालक अपने हाथ में झाडू लिये सफाई कर रहा था जिस पर बालक को अपनी टीम का परिचय देकर बाल मैत्री व्यवहार के तरीके से नाम पता पूछा तो बालक ने अपना नाम श्री पुनाराम पुत्र लकमाराम उम्र 12 साल 02 माह निवासी धवीया का नेरा काम्बा पुलिस थाना सायरा जिला उदयपुर होना बताया। होटल में दुसरा व्यक्ति रसोइ में काम कर रहा व्यक्ति का नाम पुछा तो उसने अपना नाम धन्नाराम पुत्र भैराराम लुणावा पीएस बाली होना बताया व होटल महावीरसिंह राजपुत की होना बताया, जिस पर बाल श्रमिक पुनाराम को मैत्री व्यवहार के तहत रूबरू मोतबिरान के जरिए फर्द सरंक्षण में लिया जाकर पूछताछ की तो बताया की वह महावीरसिंह कि होटल सुबह 09 बजे से शाम को 09 बजे तक बर्तन साफ करना, झाडू लगाना व चाय बनवाने का कार्य करवाता है तथा उसे महीने के दो हजार रुपये व सुबह शाम का खाना देते है तथा उसे यहां मजदूरी करते हुए 15 दिन हुए है ताबाद मौके पर बाद श्रमिक को फर्द संरक्षण में लिया जाकर बाल श्रमिक के बयान, नक्शा नजरी व बालक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाल श्रमिक पूनाराम पुत्र लकमाराम को पुनर्वास हेतु श्रीमान बाल कल्याण अधिकारी महोदय बाल कल्याण समिति पाली के समक्ष पेश करने बाबत प्राईवेट वाहन के मन सउनि मुलाराम मय जाप्ता कानि देवाराम नं. 1078, कानि नरेशचंद 1402 के पाली पहुंच श्रीमान बाल कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा बाल

श्रमिक श्री पुनाराम को पुनर्वास हेतु बाल कल्याण गृह पाली में दाखिल करवाने का आदेश देने पर बाल कल्याण गृह पाली में जमा करवाकर कर रसीद प्राप्त की। मुलजिम श्री महावीसिंह पुत्र जयसिंह निवासी चोहानों का बमला सादड़ी उम्र 48 साल पेशा होटल चलाना द्वारा बालक श्री पुनाराम पुत्र लकमाराम उम्र 12 साल 02 माह निवासी धवीया का नेरा काम्बा पुलिस थाना सायरा जिला उदयपुर को बाल श्रम के रुप में कार्य करवाना बाल श्रमिक के साथ क्रूरता व शोषण व बालक की ईच्छा के विरुद्ध श्रम करवाया जाना जुर्म धारा 75, 79 जे जे एक्ट व 374 भा.दं.सं का अपराध कारित करना पाया जाने से रिपोर्ट मय मुर्तिबा दस्तावेज के पेश कर निवेदन है की मुलजिम महावीसिंह पुत्र जयसिंह निवासी चोहानों का बगला सादड़ी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कानुनी कार्यवाही करने का श्रम करावे........... इत्यादि

3. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना सादड़ी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 40/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता(जिसे आगे भा.दं.सं से संबोधित किया जायेगा) व 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम) 2015 (जिसे आगे जे. जे. एक्ट से संबोधित किया जाएगा) में पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ किया व बाद अनुसंधान थानाधिकारी, सादड़ी जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र सं. 11/2021 अपराध अंतर्गत धारा 374 भा.दं.सं व 75, 79 जे. जे. एक्ट में न्यायालय में पेश किया जिस पर अभियुक्त सकाराम व महावीर सिंह के विरुद्ध उक्त धाराओं में दिनांक 02.12.2021 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. यहां यह उल्लेखनीय है कि मुलजिम महावीर सिंह फौत होने से अभियुक्त सकाराम की हद तक ही हस्तगत प्रकरण का विवेचन किया जा रहा है।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 374 भा.दं.सं व 75, 79 जे. जे. एक्ट के आरोप पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया:–

WEB COPY NOT OFFICIAL

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन:–

क्र.सं.	परीक्षण का क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	पी.डब्ल्यू. 01	देवाराम	मौका कार्यवाही
2.	पी.डब्ल्यू. 02	नरेशचन्द	मौका कार्यवाही
3.	पी.डब्ल्यू. 03	शिवप्रतापसिंह	उम्र बाबत रिकॉर्ड देना
4.	पी.डब्ल्यू. 04	धनाराम	गवाह
5.	पी.डब्ल्यू. 05	सूरजाराम	कायमी प्रकरण
6.	पी.डब्ल्यू. 06	मूलाराम	अनुसंधान करना

7. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया:–

–: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची सूची:–

क. अभियोजन साक्ष्य:–

क्र.सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श
1.	फर्द संरक्षण बाल श्रमिक पूनाराम	प्रदर्श पी. 01
2.	फर्द नक्शा नजरी बाल श्रमिक	प्रदर्श पी. 02
3.	बालक पूनाराम पुत्र लकमाराम का उम्र बाबत् प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी. 03.
4.	पुलिस रिपोर्ट	प्रदर्श पी. 04
5.	चाक एफआइर	प्रदर्श पी. 05

इस प्रकार साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गयी।

8. अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने उसके विरुद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं स्वयं के निर्दोष होकर झूठे मुकदमे में फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

9. उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे। इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में आरोपित अपराध हेतु पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जा सके। अंत में, अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

10. न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है जिसका निस्तारण न्यायालय को करना हैः–

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.03.2021 को या उससे पूर्व पन्द्रह दिन की समयावधि में सरहद मौज सादडी स्थित सूरज चिकन कॉर्नर में बालक/किशोर पूनाराम जिस पर अभियुक्त का वास्तविक नियन्त्रण था, को अनावश्यक मानसिक शारीरिक कष्ट होने का सम्भाव्य जानते हुए उसे बाल श्रम हेतु रख कर उत्पीडन कारित किया है तथा बालक/किशोर पूनाराम को दृश्यमानतः लगाकर/बन्धुआ रखकर बाल श्रम करवा कर उसका शोषण कारित किया है तथा बालक/किशोर पूनाराम को उसकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिए विधिविरूद्ध तौर पर विवश किया है। इस प्रकार अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 374 भा.दं.सं व 75 व 79 जे. जे. एक्ट में वर्णित अपराध कारित किया है।''

''यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा? ''

11. उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन एवं विवेचन किया जावे तो अभियोजन पक्ष ने आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु कुल 06 गवाहों को परीक्षित कराया है प्रकरण में **पी.डब्ल्यू. 01 देवाराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 12.03.2021 को पुलिस थाना सादडी में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज एएसआई मूलाराम जी के साथ वास्ते श्रीमान् एस.पी. साहब पाली के निर्देशानुसार ऑपरेशन मासूम के तहत कार्यवाही करने हेतु सादा वस्त्रों में कस्बा सादडी में बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त करवाने हेतु फालना रोड पर सूरज चिकन कॉर्नर में वास्ते कार्यवाही एएसआई मूलारामजी के साथ वह, नरेशचन्द कानि. पहुंचे, जहां काम कर रहे एक बालक को देखा जिसके हाथ में झाडू थी। एएसआई साहब द्वारा नाम–पता पूछने पर उसने अपना नाम पूनाराम पुत्र लकमाराम निवासी काम्बा, पीएस सायरा होना बताया और उस बालक से उम्र का मालूम किया तो उसने अपनी उम्र करीब 12 साल होना बताया जिस पर पुलिस द्वारा बालक को संरक्षक में लिया जाकर, फर्द संरक्षण बाल श्रमिक पूनाराम मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी. 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा नजरी बाल श्रमिक प्रदर्श पी. 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

12\. इसी क्रम में **गवाह पी.डब्ल्यू. 02 नरेशचन्द** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि वह दिनांक 12.03.2021 को पुलिस थाना सादडी में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज एएसआई मूलाराम जी के साथ वास्ते श्रीमान् एस.पी. साहब पाली के निर्देशानुसार ऑपरेशन मासूम के तहत कार्यवाही करने हेतु सादा वस्त्रों में कस्बा सादडी में बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त करवाने हेतु फालना रोड पर सूरज चिकन कॉर्नर में वास्ते कार्यवाही एएसआई मूलारामजी के साथ वह, देवाराम कानि. पहुंचे, जहां काम कर रहे एक बालक को देखा जिसके हाथ में झाडू थी। एएसआई साहब द्वारा नाम–पता पूछने पर उसने अपना नाम पूनाराम पुत्र लकमाराम निवासी काम्बा, पीएस सायरा होना बताया और उस बालक से उम्र का मालूम किया तो उसने अपनी उम्र करीब 12 साल होना बताया जिस पर पुलिस द्वारा बालक को संरक्षक में लिया जाकर, फर्द संरक्षण बाल श्रमिक पूनाराम मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी. 01 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा नजरी बाल श्रमिक प्रदर्श पी. 02 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

13\.इसी क्रम में आगे प्रकरण का अन्य **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 शिवप्रतापसिंह राणावत** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि वह सन 2021 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागड में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 12.03.2021 को उसने पुलिस तहरीर पर बालक पूनाराम पुत्र लकमाराम का उम्र बाबत् प्रमाण–पत्र दिया था, जो प्रदर्श पी. 03 है. जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

14\.इसी क्रम में आगे **गवाह पी.डब्ल्यू 04 धनाराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि साक्ष्य दिवस से चार साल पहले वह सूरज चिकन कॉर्नर होटल में काम करता था जिसके मालिक महावीरसिंहजी थे. इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है।

15\.इसी क्रम में आगे **गवाह पी.डब्ल्यू 05 सूरजाराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 13.03.2021 को थानाधिकारी सादड़ी के पद पर तैनात था। उस रोज मूलाराम एएसआइ ने एक टाइपसुदा रिपोर्ट जूर्म धारा 75, 79 जे.जे. एक्ट व 374 आइपीसी के अंतर्गत पेश किया, जो प्रदर्श पी. 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

16\.इसी क्रम में आगे **गवाह पी.डब्ल्यू 06 मूलाराम** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 12.03.2021 को पुलिस थाना सादडी में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज वह मय जाप्ता देवाराम, नरेशचन्द्र मय प्राईवेट वाहन चालक थाने से सादा

वस्त्रों में बाल श्रमिको को बाल श्रम से मुक्त करवाने बाबत् आपरेशन मासूम के तहत टीम गठित कर गश्त करते हुए आखरियां चौक सादडी पहुंचे जहां मुखबीर से सूचना मिली कि फालना रोड पर सुरज चिकन कॉर्नर होटल में एक बाल श्रमिक कार्य कर रहा है। जिस पर वह मय जाप्ता 01 पीएम पर सुरज चिकन कॉर्नर मे प्रवेश किया तो सामने एक बालक अपने हाथ में झाडु लिए सफाई कर रहा था। जिस पर उसने बालक को अपनी टीम का परिचय देकर बाल मैत्री व्यवहार तरीके से बालक का नाम पुछा तो उसने अपना नाम पुनाराम पुत्र लकमाराम बताया। होटल में एक दुसरा व्यक्ति उस समय काम कर रहा था, जिसने अपना नाम धन्नाराम होना बताया व होटल महावीर सिंह की होनी बताई। बालक को रूबरू मौतबीरान फर्द संरक्षण में लेकर पुछताछ की तो उसने बताया कि वह महावीर सिंह के होटल में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होटल में बर्तन साफ करना, झाडु लगाना आदि कार्य करता है तथा उसे महिने में 02 हजार रूपये वेतन मिलता है और उसे मजदुरी पर आये हुये 15 दिन हुये है। जिस पर बालक को फर्द संरक्षण में लिया जाकर उसके बयान लिये व नक्शा नजरी बनाई व उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाल कल्याण अधिकारी समिति, पाली के समक्ष पेश किया। फिर थाने में आकर महावीर सिंह के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया। जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। ई से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठाकंन है। ए से बी थानाधिकारी सुरजाराम के हस्ताक्षर है, जो वह उनके साथ काम करने से पहचानता है। चाक एएफआईआर प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी थानाधिकारी सुरजाराम के हस्ताक्षर है। फर्द संरक्षण बाल श्रमिक पुनाराम प्रदर्श पी 01 है। जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान व ई से एफ बाल श्रमिक पुनाराम व जी से एच धन्नाराम व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा नजरी प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीरान व ई से एफ बाल श्रमिक पुनाराम व जी से एच धन्नाराम व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उसने गवाह धन्नाराम, नरेशचन्द्र, देवाराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। अनुसंधान के दौरान आरोपी सकाराम द्वारा बाल श्रमिक पुनाराम को महावीर सिंह के होटल में मजदुरी हेतु रखवाया जाने के कारण उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनने से उसको भी आरोपी बनाया। आरोपीगण महावीर सिंह व सकाराम के विरूद्ध 75, 79 जे.जे. एक्ट व 374 भा.द.स. का अपराध बनने से अभियुक्तगण को 41(1)बी का नोटिस देकर छोडा। बाद संपूर्ण अनुसंधान के आरोपीगण महावीर सिंह व सकाराम के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानकर थानाधिकारी सुरजाराम के हवाले की।

17.**पत्रावली पर साक्ष्य तथा उभयपक्ष की बहस के आधार पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार हैः–** हस्तगत प्रकरण में प्रकरण का उद्भव परिवादी मूलाराम की ओर से पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी. 04 प्रस्तुत करने से हुआ है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में पुलिस रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति कर कथन किया कि दिनांक 12.03.2021 को मन सउनि मुलाराम मय जाप्ता कानि देवाराम नं. 1078, कानि नरेशचंद 1402 मय प्राईवेट चालक के वक्त 12.06 पीएम पर थाना से सादा वस्त्रों में कस्बा सादड़ी में बाल श्रमिको को बाल श्रम से मुक्त करवाने बाबत ऑपरेशन मासूम के तहत टीम गठित कर कस्बा सादडी को रवाना हुआ दौराने गस्त आखरिया चौक सादड़ी पहुंचा तो जरिए खास मुखबिर सूचना मिली कि फालना रोड़ सूरज कार्नर में राकावत रिसोर्ट के सामने बाल श्रमिक काम रहा है जिस पर मन सउनि मय टीम के फालना रोड सूरज कार्नर पर वक्त 01 पीएम पहुंच कर सूरज चिकन कॉर्नर में अन्दर प्रवेश किया तो अन्दर एक बालक अपने हाथ में झाडू लिये सफाई कर रहा था जिस पर बालक को अपनी टीम का परिचय देकर बाल मैत्री व्यवहार के तरीके से नाम पता पूछा तो बालक ने अपना नाम श्री पुनाराम पुत्र लकमाराम उम्र 12 साल 02 माह निवासी धवीया का नेरा काम्बा पुलिस थाना सायरा जिला उदयपुर होना बताया। बाल श्रमिक पुनाराम को मैत्री व्यवहार के तहत रूबरू मौतबिरान के जरिए फर्द सरंक्षण में लिया जाकर पूछताछ की तो बताया की वह महावीरसिंह कि होटल सुबह 09 बजे से शाम को 09 बजे तक बर्तन साफ करना, झाडू लगाना व चाय बनवाने का कार्य करवाने तथा उसे महीने के दो हजार रुपये व सुबह शाम का खाना देते है।

18.यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्ररकण में मूलाराम स्वयं परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी है। इस गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि होटल किसकी थी और उसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था उस संबंधी कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। यह कहना सही है कि होटल संचालन की अनुमति बाबत् भी उसने कोई अनुसंधान नहीं किया व उस बाबत् कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिया। यह कहना सही है कि उसकी एफआईआर प्रदर्श पी. 04 में बालक को सकाराम द्वारा होटल पर मजदूरी पर रखने का कहीं उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि दौराने अनुसंधान ऐसा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं आया, जिससे यह साबित हो कि बालक पुनाराम को महावीर सिंह की होटल पर मजदूरी करने हेतु सकाराम ने रखवाया हो। यह कहना सही है कि इस प्रकरण में परिवादी एवं अनुसंधान

अधिकारी वह स्वयं ही था। वह पत्रावली देखकर नहीं बता सकता कि इस प्रकरण में सकाराम को कैसे मुलजिम बनाया। इस प्रकार उक्त गवाह ने पुलिस रिपोर्ट एवं अपने मुख्य परीक्षण में वर्णित तथ्यों की ताईद नहीं की है। गवाह पी.ड. 01 देवाराम व पी.ड. 02 नरेशचन्द्र जो कि दिनांक 12.03.2021 को आपरेशन मासूम के तहत की जाने वाली संपूर्ण कार्यवाही में साथ होने के कथन करते हैं। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उक्त होटल महावीर सिंह की थी, जिसका संचालन व देखरेख महावीर सिंह द्वारा ही किया जाता था। बच्चे के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। वह सामान्य स्थिति में था। फर्द प्रदर्श पी. 01 व प्रदर्श पी. 02 मौके पर ही मुर्तिब की थी। फर्द प्रदर्श पी. 01 का अवलोकन किया जावे तो इस फर्द में बाल श्रमिक पूनाराम के हुलिये व पहनावे का वर्णन है तथा फर्द प्रदर्श पी 02 में सूरज चिकन कॉर्नर व आसपास का नजरी नक्शा मुर्तिब किया गया है। प्रदर्श पी. 01 व प्रदर्श पी. 02 पर ए से बी स्थान पर देवाराम व सी से डी स्थान पर नरेशचन्द्र के हस्ताक्षर है। परंतु उक्त फर्दात के अवलोकन से यह कतई स्पष्ट नहीं है कि यह होटल महावीर सिंह की हो, क्योंकि नक्शा नजरी में महावीर सिंह का रहवासी मकान व सूरज चिकन कॉर्नर अवश्य दर्शाई गई है परंतु उससे संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किए गए है। अन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पी.ड. 04 धन्नाराम के बयानों का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने साक्ष्य दिवस से चार वर्ष पूर्व स्वयं का महावीर सिंह जी की होटल पर काम करने का कथन किया है परंतु बाल श्रमिक पूनाराम के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा जिरह में भी यह गवाह कथन करता है कि उसे प्रकरण संबंधी कोई जानकारी नहीं है। गवाह पी.ड. 05 सूरजाराम जो कि मात्र मूलाराम द्वारा टाईपसुदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा उस पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन करता है। जिरह में यह गवाह कथन करता है कि मूलाराम एएसआई ने रवानगी, रोजनामचा का इंद्राज तो किया था परंतु उसकी प्रति पत्रावली पर नहीं है। उपरोक्त समस्त गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाल श्रमिक पूनाराम पर किसके द्वारा नियंत्रण रखा गया तथा उस पर अनावश्यक मानसिक–शारीरिक कष्ट, हमला, परित्याग, उत्पीड़न, जानबूझकर उपेक्षा किसके द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त मुलजिम सकाराम द्वारा बाल श्रमिक पूनाराम को किसी प्रयोजन के लिए लाया जाकर उसे बंधुआ रखकर उसे स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया गया क्योंकि किसी भी गवाह ने उक्त तथ्यों की पुष्टि सकाराम के संबंध में नहीं की है यहां तक कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्वयं अपने

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुसंधान में यह माना है कि अनुसंधान से यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि सकाराम द्वारा बाल श्रमिक पूनाराम को महावीर सिंह की होटल पर मजदूरी करने हेतु रखवाया हो। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। मात्र शंका या संभावना के आधार पर किसी प्रकार की दोषसिद्धि निर्धारित नहीं की जा सकती है। यदि अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है।

19.अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री के अवलोकन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त सकाराम को आरोपित अपराध में अभिलेख पर साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

20.अतः अभियुक्त सकाराम पुत्र उमाराम, निवासी चोर बावडी, सादडी, जिला पाली, राज. अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता व 75, 79 जे. जे. एक्ट साक्ष्य के अभाव में, संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21.अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील/निगरानी न्यायालय में होने पर न्यायालय में उपस्थिति के लिए धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत रुपये 10 हजार के छह माह की अवधि के स्वयं के बंधपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करावे।

(हिमानी कच्छवाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सादड़ी, पाली

22.निर्णय आज दिनांक 16.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(हिमानी कच्छवाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सादड़ी, पाली

<u>नोट</u> :– 01. निर्णय/आदेश की यह प्रति मात्र अधिवक्ता/पक्षकारों के पढ़ने के उद्देश्य से अपलोड की गई है। 02. सभी विधिक प्रयोजन हेतु निर्णय/आदेश की सत्यप्रति सामान्य (सिविल एवं दाण्डिक) नियम, 2018 के प्रावधानुसार न्यायालय से प्राप्त की जावें।